79

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हरियाणा
AGAUHARYANA@CAG.GOV.IN

सत्यमेव जयते

PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), HARYANA
Plot NO. 5, Dakshin Marg, Sector 33-B
AGAUHARYANA@CAG.GOV.IN

Ltr No: AMG-I/2024-2025/DIS-2282902
Date: 16 Dec 2024

To,

Director General, Technical Education Haryana, Bay No. 7 to 12, Sector-04, Panchkula (Haryana)-134112

Subject: Issue of Consolidated inspection report : PR-142344

Sir/Madam,

I am to forward herewith theConsolidated inspection report,Consolidated IR of Technical Education alongwith observations issued during audit of 15 selected implementing units and to request that your replies may be arranged to be furnished to this office along with your specific remarks within four weeks from the date of receipt of this report.

The receipt of the Consolidated inspection reportmay kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

SHEETAL
Inspectiong Officer

Copy to:-

Ltr No : AMG-I/2024-2025/DIS-2282902/C1/For Information
अतिरक्त मुख्य सचिव हरियाणा, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, हरियाणा न्ययु सचिवालय, रूम नंबर 406, चतुर्थ तल, सेक्टर-17, चंडीगढ़-160017

Scanned with CamScan

कार्यालय महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पचंकुला की अवधि 04/2021 से 03/2024 तथा इसके अंतर्गत आने वाले (15 Implementing यूनिट्स) क्रमशः प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी, अम्बाला शहर की अवधि 01/2019 से 06/2024, प्रधानाचार्य, Government Polytechnic Education Society for Women, Morni, Panchkula की अवधि 12/2019 से 06/2024, प्रधानाचार्य, गुरु गोबिंद सिंह राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, 'चीका की अवधि 03/2017 से 06/2024, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार, प्रधानाचार्य, Government Polytechnic, Nilokheri, Karnal की अवधि नवंबर 2018 से जून 2024, प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी, सोनीपत की अवधि 09/2021 से 07/2024, प्रधानाचार्य, सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला (यमुना नगर) की अवधि 04/2015 से 07/2024, प्रधानाचार्या दीनबन्धु सर छोटूराम राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, सांपला की अवधि 09/2009 से 07/2024, प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, मानेसर की अवधि 04/2017 से 08/2024, प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, उटावड. (पलवल) की अवधि 02/2018 से 08/2024, प्रधानाचार्य राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद की अवधि 03/2019 से 09/2024, निदेशक-प्रधानाचार्य, राव बीरेंद्र सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ज़ैनाबाद (रेवाड़ी) के माह जून 2018 से सितम्बर 2024, निदेशक-प्रधानाचार्य, चौधरी देवी लाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पन्नीवाला मोटा (सिरसा) के माह फरवरी 2019 से अक्तुबर 2024, प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी, झज्जर की अवधि 01/2019 से 10/202, प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, महम की अवधि 09/2009 से 08/2024 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-I प्रस्तावना:

कार्यालय महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पचंकुला का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, प्रबंधन, लेखा, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प के क्षेत्र में डिप्लोमा शिक्षा प्रदान करना था ताकि टकनीशियन और इंजीनियरों के बीच अंतर को पाटने के लिए क्षेत्र संचालन के लिए तकनीकी क्षमताएं तैयार की जा सकें। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानो के द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की मानिटारिंग कर इस सम्बंध में पालिसी तैयार करना तथा इन संस्थानों में शिक्षा की गुणवता को निरंतर बढाना और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को सुचारु रुप से चलाना था।

Scanned with CamScan

कार्यालय की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण अवधि 04/2021 से 03/2024 तक (वार्षिक) व्यय ₹ 1365.68 करोड था। इस कार्यालय द्वारा शीर्ष 2203 के अन्तर्गत व्यय किया गया। कार्यालय के लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था थी। पिछले तीन वर्षो का व्यय निम्न प्रकार था: -

अवधि	व्यय (₹ लाख)
2021-22	459.36
2022-23	424.66
2023-24	481.66
कुल	1365.68

कार्यालय महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पचंकुला की अवधि 04/2021 से 03/2024 के लेखों/अभिलेखों की लेखापरीक्षा दिनांक 04.06.2024 से 28.06.2024 तथा 18.11.2024 एवं 19.11.2024 तक की गई जिनमें अभिलेखों की नमूना जांच के लिये (व्यय) माह 08/2021, 12/2021, 02/2022, 11/2022, 11/2022 व 03/2024 का चयन अधिकतम खर्चे सैंपलिंग आधार पर किया गया। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई। पिछली लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण अवधि 04/2019 से 03/2021 तक की गई।

कार्यालय महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पचंकुला (पैरा न० 01 एवं 03 से 13) तथा इसके अंतर्गत आने वाले (15 implementing यूनिट्स) क्रमशः राजकीय बहुतकनीकी कार्यालयों {प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी, अम्बाला शहर (पैरा न० 14 से 17), प्रधानाचार्य, Government Polytechnic Education Society for Women, Morni, Panchkula (पैरा न० 18 से 21), प्रधानाचार्य, गुरु गोबिंद सिंह राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, चीका (कैथल) (पैरा न० 02 एवं 22 से 25), प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार (पैरा न० 26 से 36), प्रधानाचार्य, Government Polytechnic, Nilokheri, Karnal (पैरा न० 37 से 43), प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी, सोनीपत (पैरा न० 44 से 54), प्रधानाचार्य, सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला (यमुना नगर) (पैरा न० 55 से 59), प्रधानाचार्या दीनबन्धु सर छोटूराम राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, सांपला (पैरा न० 60 से 65), कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, मानेसर (पैरा न० 66 से 73), प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, उटावड. (पलवल) (पैरा न० 74 से 79), प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, उटावड. (पलवल) (पैरा न० 74 से 79), निदेशक-प्रधानाचार्य, राव बीरेंद्र सिंह महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद (पैरा न० 80 से 85),

Scanned with CamScan

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ज़ैनाबाद (रेवाड़ी) (पैरा न० 86 से 96), निदेशक-प्रधानाचार्य, चौधरी देवी लाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पन्नीवाला मोटा (सिरसा) (पैरा न० 97 से 104), प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी, झज्जर की अवधि 01/2019 से 10/2024 (पैरा न० 105 से 109) एवं प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा समिति, महम (पैरा न० 110 से 116) की लेखापरीक्षा भी इस दौरान की गई जिसके लेखापरीक्षा परिणाम/अपतियाँ इस संकलित रिपोर्ट/प्रतिवेदन के अंतर्गत दर्शाए गये हैं।

Scanned with CamScan

सन्दर्भ संख्या: OBS-1430344

पैरा26:मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), केन्द्र सरकार के तहत Upgradation of Existing Polytechnics (ST) योजना के कार्यान्वयन में अनियमिततायें।

(क) प्रयोगशाला और कार्यशाला और व्यावहारिक कौशल के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु प्राप्त केन्द्रीय वितीय सहायता का उपयोग न करने कारण पूर्ण राशि का प्राप्त न होना राशि- रूपये 60 लाख।

(ख) कार्यालय द्वारा योजना के तहत अनियमित खरीद करना राशि- रु. 5.78 लाख।

(ग) अनियमित निविदा (quotation) के आधार पर अनियमति खरीद राशि- रु. 0.48 लाख।

(घ) टुकड़ों में खरीद करना राशि- रु. 1.99 लाख।

प्रयोगशाला कार्यशाला और व्यावहारिक कौशल के विकास के लिये आवश्यक उपकरणों के लिए मानदंड एआईसीटीई द्वारा निर्धारित किये गये है। सभी संस्थानों को एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों को प्रभावी रुप से पालन करना आवश्यक है।

Scanned with CamScan

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य के मौजूदा पॉलिटेक्निक के कौशल विकास के लिए समन्वित कार्यवाही के तहत सरकारी व सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए वितिय सहायता (रु. 2 करोड़ प्रति पॉलिटेक्निक) प्रदान करना था। राशि कार्य की प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जानी थी।
स्वीकृति के नियम 3 (बी) के अनुसार निधियों का आधुनिक उपकरणों और अप्रचलित उपकरणों के प्रतिस्थापन सुविधाओं शिक्षण संस्थानों में आईटी के अनुप्रयोग के लिए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि की शुरुआत के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए व सीखने और परीक्षण प्रक्रिया को उत्तम बनाने के लिए किया जाएगा।

(क) प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि दिसंबार 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु. 1.40 करोड़ (रु. 20 लाख (दिनांक 07.12.2010) + रु. 1.20 करोड़ (दिनांक 14.11.2013) की राशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवबंर 2013 तक आवंटित की गई थी। परंतु संबंधित पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य द्वारा NITTTR द्वारा पुनरीक्षित रु.1.88 करोड़ राशि की सुचि अगस्त 2015 को 24 माह की देरी से तकनीकी विभाग को प्रस्तुत की गई। आगे जांच में पाया गया कि अब तक जारी की गई रु. 1.40 करोड़ की खरीद का कार्य अभी तक पूर्ण नही हो सका है एवं उपरोक्त राशि में से लगभग रु. 18.46 लाख ब्याज सहित कार्यालय द्वारा स्कीम के तहत खुलवाए गए बैंक खाते में शेष पड़ी है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के दौरान जारी की पत्र के माध्यम से तकनीकी संस्थानों को लिए हिदायते जारी कर शेष बची राशि शीघ्र अति शीघ्र सूचि अनुसार खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजे जाए ताकि बाकी बची हुई राशि की किस्त भी जारी की जा सके। परंतु कार्यालय द्वारा उपरोक्त राशि अभी तक भी पूर्ण रुप से खर्च नही की जा सकी है। जिस कारण रुपये 60 लाख की राशि जो कि कार्य की प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जानी थी वह भी प्राप्त नही हुई। इसी तरह की आपत्ति लेखापरीक्षा द्वारा नवंबर 2021 तक की लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई थी। इसके उपरांत भी बहुतकनीकी संस्थान द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः केन्द्र सरकार प्राप्त हिदायतों के बावजूद भी कार्यालय द्वारा राशि के पूर्ण रुप से खर्च न होने के कारण योजना के तहर पूर्ण लाभ नही उठाया जा सका।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के दिशा-निर्देश 3 (c) के अनुसार संबंधित पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य द्वारा राज्य तकनीकी विभाग के परामर्श से

Scanned with CamScanner

मशीनरी उपकरण की व्यापक सूचि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव अनुसार तैयार कर और खरीद से पहले संबंधित क्षेत्र के NITTTR द्वारा पुनरीक्षित करवा कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना था व साथ ही उक्त सूचि के अनुसार खरीद की जाएगी। । इस सूचि में पहले से मंजूर रु. 20 लाख से खरीदे गए मशीनरी उपकरण भी शामिल होगे।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरू दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के माह नवम्बर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा NITTTR से approved कराई गई सूचि से अलग निम्नलिखित उपकरणों की खरीद की गई:-

Name of Branch	Name of Firm	Particulars	Quantity	Amount (रु.)
Computer Engineering	Interio Iconic Styles	Nilkamal Plastic Stools	30	12744
	Satya Trading Company	Various Items	--	5863
	Arora's Laptop	Sony Projector & etc	--	69050
	Laptop Hub	Canon Printer	1	18500
	Scientico Medico Engineering Instruments	SMEI IEEE 802.15 transreceiver (2.4 GHz) Bluetooth Trainer Educational Kit (IoT Lab Trainer) SMEI Make	10	99990
	The Laptop's	HP SMART TANK Printer	1	25370
Medical Electronic	The Laptop's	HP Printer MFP M128FW	1	23500
	SHIV SHAKTI FURNITURE	Study Chair with writing pad etc	33	97350
ECE Deptt.	GD ENTERPRISES	Hitachi 1.5 Ton 3 Star Windo AC	2	60000
	-do-	Hitachi Window AC RAW 318HFDO	2	68978
	-do-	-do-	2	69826

Scanned with CamScan

	-do-	VGUARD STABLIZER VND 400 PLUS	4	18000
	-do-	-do-	2	8980
Total				578151

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा रु. 5.78 लाख राशि की खरीद NITTTR के द्वारा अनुमोदित सूचि से अलग खरीद की गई। जबकि MHRD द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार कार्यालय द्वारा खरीद से पहले NITTTR से सूचि अनुमोदित करवाकर उसके अनुसार ही खरीद की जाना चाहिए थी। परंतु कार्यालय द्वारा ऐसा न कर मनमाने तरीके से खरीद की गई। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनुदान की राशि से ब्रांच/शाखा अनुसार कितनी खरीद की गई, उसका आंकलन किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा NITTTR के अनुसार अनुमोदित सूचि में Mechanical Lab के लिए एक AC हेतु रुपये लगभग रु. 31000/- की राशि अनुमोदित कराई गई थी। परंतु दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त लैब के लिए AC की खरीद हेतु रु. 35300/- की राशि खर्च की गई। अतः कार्यालय द्वारा न ही NITTTR द्वारा अनुमोदित सूचि से अतिरिक्त खरीद की गई बल्कि अनुमोदित कराई गए सामान पर भी लगभग रुपये 4,300 की राशि अतिरिक्त खर्च की गई जोकि अनियमित है।

(ग) राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों द्वारा Open Market से सामान की खरीद हेतु तीन निविदाएं मार्केट से लेकर, सबसे से कम राशि लगाने वाले बोलीदाता को खरीद हेतु स्पलाई ऑर्डर जारी कर दिए जाते है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के माह नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनियमित निविदाओं के आधार पर निम्नलिखित खरीद की गई:-

Sr. no.	Name of Firm (Invalid Quotation)	Item	Purchasing Date	Amount	Remarks
1.	Shakti Interior Decorators	Nilkamal Plastic Stools	02.12.2021	12744	GST number is invalid.

Scanned with CamScanner

2.	Maruti Enterprises	AC & Accessories	17.05.2022	35300	-do-
	Total			48044	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना के तहत खरीदे गए सामान हेतु प्राप्त निविदाओं में से Shakti Interior Decorators व Maruti Enterprises द्वारा दी गई निविदाएं पर अंकित GST नंबर पंजीकृत नही पाया गया। इस अभाव में इस बात को सुनिश्चित नही किया जा सकता कि ये दोनों फर्म असल में अस्तित्व में है भी या नही। अतः इस स्थिति में इन निविदाओं के वैधता के अभाव में होने वाली खरीद को नियमित नही ठहराया जा सकता है।

(घ) पंजाब वितिय नियमावली भाग-1 के नियम 15.2 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सेवा के लिए उपयोग के लिए की गई सभी खरीद चाहे व स्वदेशी मूल की हो या अन्यथा, हिदायतों के सख्त रुप से पालन करते हुए खरीद की जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रय आदेश किसी भी स्थिति में महज उच्च अधिकारियों की आवश्यक अनुमिति से बचने के लिए टुकड़नों में नही की जानी चाहिए। सार्वजनिक सेवा के लिए सामान की खरीद किफायती दरों पर की जानी चाहिए। यदि सामान खुले बाजार से खरीदा जाता है, जब तक संभव हो, प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के तहत ही खरीदा जाना चाहिए व साथ ही यदि ऐसा करने में असमर्थ तो उसके लिए लिखित में उसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। सामान को टुकड़ों में खरीद करने से बचना चाहिए। विभाग को चाहिए कि वे समय-समय पर समग्र रुप से मांग पत्र तैयार कर जितना संभव हो उसके आधार पर खरीद की जाना चाहिए।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के माह नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ECE विभाग हेतु 6 एसी की खरीद की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

Sr. no.	Name of Firm	Quantity	Date of Purchase	Amount (रु.)
1	GD Enterprises	2	17.05.2022	60000
2	-do-	2	17.06.2022	68978
3	-do-	2	17.06.2022	69826

Scanned with CamScan

	Total	6		198804

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारियो की आवश्यक अनुमति से बचने के लिए उपरोक्त वर्णित एसी की खरीद कुल राशि रु. 1.99 लाख टुकड़ो में की गई, जोकि पीएफआर नियमावलि के अनुसार अनियमति है। अतः अब उच्च अधिकारियों की अनुमति लेकर उपरोक्त खरीद को नियमित कराकर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि मामले की जांच पड़ताल कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा। विभाग का अंतिम उत्तर अपेक्षित था।

संख्या: OBS-1444196

पैरा27: आंतरिक नियंत्रण में कमियाँ।

किसी भी संस्था अथवा कार्यालय की कार्यक्षमता, वितीय विश्वसनीयता तथा सत्यनिष्ठ को प्रभावी बनाने के लिए, आंतरिक नियंत्रण अति महत्वपूर्ण साधन है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण परिसंपति अथवा राजस्व की हानि की सम्भावना पर तो नियंत्रण रखता ही है साथ ही योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, कार्य प्रक्रिया पर निगरानी, सूचना की सत्यता व पूर्णता, तथा सभी नियमों, अधिनियमों, प्रावधानों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा परिपत्रों के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहा है, यह भी सुनिश्चित करता है। कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी हिसार के लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 तक के अभिलेखों\ की जांच की गई:-

(1) नियमानुसार सेवा पुस्तिकाओं में इंद्राज करने बारे|

पंजाब सिविल सेवा नियम वॉल्यूम-1 भाग-1 के आधय्य-12 के नियम 12.3 के अनुसार सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिवर्ष एक बार उनकी सेवा पुस्तिका दिखाई जानी चाहिये व सेवा पुस्तिका पर सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य है, ताकि वे समय रहते यदि उसमे कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सके। इस सम्बंध में सम्बंधित कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका के कालम संख्या 8 मे हस्ताक्षर किया जाना चाहिये। व नियम 12.2 के अनुसार सेवा पुस्तिका में कर्मचारी/अधिकारी से सम्बंधित सभी घटनाओ (नवीनतम फोटो/कर्मचारी के परिवार व वारिस का ब्यौरा व अन्य) का इंद्राज/अपडेट अनिवार्य है |

परंतु कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी हिसार के लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 तक के ऑडिट के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिका में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गए थे , नवीनतम फोटो तथा

Scanned with CamScan

कर्मचारी के परिवार व वारिस का ब्यौरा नहीं था। सेवा पुस्तिका में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर न करने, नवीनतम फोटो तथा कर्मचारी के परिवार व वारिस का ब्यौरा न इंद्राज करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराए।

(2) स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाना ।

पंजाब वितिय नियमावली भाग-I के नियम 15.16 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक में रखी प्रत्येक वस्तु को भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किसी सक्षम अधिकारी से करवाया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के दौरान नकारा, फालतु एवं अनुपयोगी वस्तुओं की सूचि तैयार कर उच्च अधिकारी की स्वीकृति से यथाशीघ्र नीलामी कर प्राप्त राजस्व को चालान के माध्यम से खजाने में जमा करवाना चाहिए । परंतु कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी हिसार द्वारा स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नही करवाया जा रहा है। इस प्रकार से स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाकर कार्यालय द्वारा वितिय नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना करने के कारणो से लेखापरीक्षा को अवगत किया जाए।

इस सम्बन्ध में विभाग को ऑडिट इन्क्वारी (AENQ-563803) जारी किया गया था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला| अतः विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों व उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। विभाग का अंतिम उत्तर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1446019

पैरा28: यात्रा भत्ते/होटल का अनियमित भुगतान राशि- रु. 1.93 लाख।

पंजाब वितिय नियमावली भाग-1 के नियम 2.10 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से व्यय करे जैसे वह अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में सतर्कता बरतता है। प्रथम दृष्टया में व्यय देखने में सामान्य की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। भत्तों की राशि जैसे यात्रा भत्ता आदि इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ताओं के लिए लाभ का स्रोत नही होना चाहिये।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के माह नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ते/होटल का क्लेम किया गया-

Sr. No	Bill No	Date	Name of Officer (Sh./ Er.)	Date of Travel by own Car	Amount Paid

Scanned with CamScanner

1	147A	01-10-2022	Sunil Kumar	22/10/2020	1248
2	147A	01-10-2022	Sunil Kumar	28/10/2020	1248
3	147A	01-10-2022	Sunil Kumar	24/11/2020	1248
4	176	21/01/2021	Sunil Kumar	24/06/2021	1548
5	176	21/01/2021	Sunil Kumar	24/06/2021	1248
6	176	21/01/2021	Sunil Kumar	20/07/2021	3392
7	176	21/01/2021	Sunil Kumar	20/07/2021	3392
8	176	21/01/2021	Satinder	24/09/2021	3280
9	176	21/01/2021	Satinder	24/09/2021	3280
10	176	21/01/2021	Ram Rakesh	09-08-2021	2272
11	176	21/01/2021	Ram Rakesh	24/09/2021	2272
12	176	21/01/2021	Ram Rakesh	29/09/2021	2272
13	153	31/01/2022	Balraj Singh, Driver	30/09/2021 (Hotel Charges)	3200
14	153	31/01/2022	Sunil Kumar	24/11/2021	4000
15	153	31/01/2022	Sunil Kumar	24/11/2021	4000
16	153	31/01/2022	Sunil Kumar	29/11/2021	4000
17	153	31/01/2022	Sunil Kumar	29/11/2021	4000
18	153	31/01/2022	Rajiv Sharma	07-06-2021	7744
19	153	31/01/2022	Ram Rakesh	21/11/2021 By own Car	3040
20	153	31/01/2022	Ram Rakesh	22/11/2021	4160
21	161	03-02-2022	Sunil Kumar	29/06/2021	4220
22	161	03-02-2022	Sunil Kumar	29/06/2021	3920
23	161	03-02-2022	Sunil Kumar	22/07/2021	3920

Scanned with CamScan

85

24	161	03-02-2022	Sunil Kumar	22-07-2021	4320
25	161	03-02-2022	Sunil Kumar	23/07/2021	960
26	161	03-02-2022	Sunil Kumar	24/07/2021	4480
27	8	14/04/2023	Subhash Chander	28/08/2022	4000
28	8	14/04/2023	Subhash Chander	02-09-2022	4000
29	8	14/04/2023	Naresh Kumar	08-08-2022	4000
30	8	14/04/2023	Naresh Kumar	08-09-2022	4000
31	8	14/04/2023	Naresh Kumar	9/8/2022 , (Hotel Charges Rs. 3000)	3000
32	8	14/04/2023	Naresh Kumar	05-12-2022	4000
33	8	14/04/2023	Naresh Kumar	06-12-2022	4000
34	8	14/04/2023	Azad Singh	19-12-2022 Hotel Charges	235o
35	8	14-04-2023	Jaibir Singh	19-12-2022 Hotel Charges	2350
36	8	05-05-2023	Ram Rakesh	19-10-2022	5536
37	8	05-05-2023	Ram Rakesh	20-10-2022	4640
38	28	05-05-2023	Ram Rakesh	09-02-2023	5280
39	28	05-05-2023	Ram Rakesh	10-02-2023	4000
40	28	05-05-2023	Ram Rakesh	14-03-2023	5200
41		06-05-2023	Ram Rakesh	15-03-2023	4320
42	28	05-05-2023	Kulbhushan Bansal	02-03-2023	7040
43	28	05-05-2023	Kulbhushan Bansal	19/03/2023	3040

Scanned with CamScan

44	78	06-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	05-10-2023	3360
45	78	06-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	05-10-2023	3360
46	75	03-11-2023	Sunil Bhutani	11-08-2023	5952
47	74	03-11-2023	Mandeep Nagpal	21/04/2023	3680
48	74	03-11-2023	Dr. Mukesh Bansal	12-04-2023	3680
49	74	03-11-2023	Dr. Mukesh Bansal	13/04/2023	3680
50	74	03-11-2023	Dr. Mukesh Bansal	28/04/2023	2880
51	74	03-11-2023	Dr. Mukesh Bansal	28/04/2023	2880
52	74	03-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	14/03/2023	752
53	74	03-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	14/03/2023	752
54	74	03-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	20/03/2023	1888
55	74	03-11-2023	Rajesh Kumar Gautam	20/03/2023	1888
56	104	23/01/2024	Sidharth Sharma	23-10-2023	2240
57	104	23/01/2024	Sidharth Sharma	03-11-2023	2240
58	104	23/01/2024	Sidharth Sharma	23/11/2023	2240

Scanned with CamScanner

81

Total Amount	192542

आगे जांच के दौरान पाया गया कि होटल बिल जो लगाए गए थे, वो किसी सुविधा हेतु पंजीकृत होटल से प्राप्त नही किए गए थे। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों द्वारा अपनी कार द्वारा यात्रा की गई, उनके द्वारा यात्रा भता क्लेम करते समय ऐसा कोई भी दस्तावेज/टोल टैक्स पावती प्रेषित नही किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी कार से यात्रा की गई थी। अतः दस्तावेजों के अभाव में उपरोक्त दर्शाई गई राशि अनियमित है तथा मान्य नही है। इस सम्बन्ध में विभाग को ऑडिट इन्क्वारी (AENQ-563767) जारी किया गया था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। अतः विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों व उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। विभाग का अंतिम उतर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1446044

पैरा29: Merit-cum-Means स्कीम के तहत छात्रों को कम राशि का भुगतान करना राशि- रु. 7.40 लाख।

राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतो (दिनांक 11-01-2008) के अनुसार राजकीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों मे पढ़ने वाले छात्रों के लिए रु. 500/- प्रतिमाह प्रति सेमेस्टर के भगुतान हेतु निर्देश जारी किए गए थे। उक्त कुल रु. 3,000/- प्रति छात्र की राशि का भुगतान सेमेस्टर अनुसार मैरिट सूचि के अनुसार प्रथम 15 प्रतिशत छात्रों भुगतान किया जाना था।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 तक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वितीय सत्र 2021-22 से सत्र 2023-24 तक कुल 1288 योग्य छात्रों को उपरोक्त योजना के तहत कुल रु.37.02 लाख राशि (रु. 2,500/- प्रति छात्र) का भुगतान किया गया। परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यालय द्वारा रु. 3,000/- प्रति छात्र का भुगतान किया जाना चाहिए था। कार्यालय द्वारा प्रति छात्र रु. 500 की राशि का कम भुगतान किया गया जोकि कुल रु. 7.41 लाख बनती है। कार्यालय द्वारा कम भुगतान करने की स्थिति में योजना का संपूर्ण लाभ संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को स्थनानतरण नही किया जा सका। इस सम्बन्ध में विभाग को ऑडिट इन्क्वारी (AENQ-563770) जारी किया गया था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। अतः विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों अनुसार प्रति छात्र संपूर्ण राशि का भुगतान न करके छात्रों

Scanned with CamScan

को स्कीम के लाभ से वंचित रखने के कारणों व इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। विभाग का अंतिम उत्तर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1446071

पैरा30:अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों की आपूर्ति न करने से हानि राशि- रु. 7.84 लाख ।

हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना न०-44/53/2016-4TE दिंनाक 22.12.2016 के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है राजकीय बहुतकनीकी अम्बाला सिटी को पुस्तक खरीदने के लिए नोडल केन्द्र बनाया गया है सभी राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय बहुतकनीकी अम्बाला सिटी को पुस्तको की डिमांड भेजेते है जिसके फलस्वरूप राजकीय बहुतकनीकी अम्बाला सिटी से नि:शुल्क पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी हिसार के लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 तक के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वितीय सत्र 2017-18 से सत्र 2024-25 तक कुल 5335 पुस्तको के लिए रु. 1358679 मूल्य की आपूर्ति की गयी तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को कुल 3611 पुस्तके आबंटित की गई व राजकीय बहुतकनीकी हिसार, के स्टॉक में कुल 1724 पुस्तके रखी हुई है।

Name of Institute: - GD Govt. Polytechnic Hisar

Session	Requirement Letter Date	Book Received Date	Bill Date	Bill Amount	Total Book Received	Book Allotted	Available Stock	Amount of available stock
2017-18	20-12-2016	Jan/Feb 2018	27-01-2018 & 03/02/2018	353620	1992	948	1044	290415
2019-20	28-03-2019 & 25-11-2019	June 2019	10-06-2019 & 04-06-2019	372751	1010	650	360	245794
2021-22	-	Feb/March 2022	14-02-2022 & 01-03-2023	315430	1210	1040	170	70415

Scanned with CamScan

2023-24	31-05-2023 & 15-09-2023	April 2024	25-04-2024 & 26-04-2024	313878	1123	973	150	176934
TOTAL				1358679	5335	3611	1724	783558

उपरोक्त डाटा के अनुसार 5335 पुस्तको में से स्टॉक में 1724 पुस्तके, कुल मुल्य रु 7,83,558/- रखी हुई है। स्टॉक में रखी पुस्तको को न तो वापिस किया गया न ही विभाग को स्टॉक के बारे में अवगत कराया गया। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सत्र 2019-20 से सत्र 2023-24 तक स्टॉक में पहले से पुस्तकें होने के बावजूद अतिरिक्त पुस्तको की मांग/प्राप्ति करने व 1724 पुस्तकों को आबंटित नहीं करने से कुल मुल्य रु 7,83,558/- की हानि हुई। इस सम्बन्ध में विभाग को ऑडिट इन्क्वारी (AENQ-562756) जारी किया गया था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। अतः विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों अनुसार पुस्तको को आबंटित नहीं करके छात्रों को स्कीम के लाभ से वंचित रखने के कारणों व इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। विभाग का अंतिम उतर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1446240

पैरा31: अनियमित निविदा (quotation) के आधार पर अनियमति खरीद राशि- ₹ 12.21 लाख।

राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों द्वारा Open Market से सामान की खरीद हेतु तीन निविदाएं मार्केट से लेकर, सबसे से कम राशि लगाने वाले बोलीदाता को खरीद हेतु स्पलाई ऑर्डर जारी कर दिए जाते है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के माह नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा के अवधि के दौरान अनियमित निविदाओं के आधार पर निम्नलिखित खरीद की गई:-

Sr. No	Bill No	Date	Name of Agency Submitted invalid quotation	Bill Amount
1	30	19/04/2022	Nest Décor	74,240
2	30	19/04/2022	Nest Décor	21,529
3	35	26/04/2022	Shalasher Enterprises	60,454
4	40	05-09-2022	M.M Traders	34,810

Scanned with CamScanner

5	51	20/05/2022	Nest Décor	84,595
6	66	07-06-2022	P.M Trading Co.	38,000
7	83	08-12-2022	Atharv Interiors , Ms Monal Enterprises, Haryana Enterprises	20,711
8	91	20/09/2022	Maruti Enterprises, Thakral's Electronic Paradise	63,100
9	108	01-02-2023	Home Décor	28,589
10	108	01-02-2023	Nest Décor , Soni Traders	97,025.5
11	113	01-05-2023	Ative Engitech Pvt. Ltd.	98,660
12	113	01-05-2023	LHP	30,085
13	121	27/01/2023	M&T Engineering, Innolab India, Novative Engitech Pvt. Ltd.	76,840
14			New Kajal Enterprises	20,325
15	151	19/01/2022	United Security & Management Services, Lakshay Security & Placement Services	16,756
16	152	20/01/2022	Royal Arts	49,893
17	149	19/01/2022	Bhayana Plastic Sign	41,630
18			Jaidev Electric Works	9,800
19	117	11-10-2021	SAM Traders	48,569
20	118	11-10-2021	SAM Traders	4,158
21	118	11-10-2021	Bhayana Plastic Sign	24,284
22	120	11-10-2021	SAM Traders	48,569
23	132	12-09-2021	Shivraj Sports	8,260
24	132	12-09-2021	Shivraj Sports	17,700
25	132	12-09-2021	SAM Traders	9,464
26			Royal Arts	9,676
27	141	16/12/2021	Royal Arts	29,518
28	139	15/12/2021	Harman Tradex Pvt. Ltd.	3,540

Scanned with CamScanner

			Shri Balaji Technoworld Co.	
29	139	15/12/2021	United Security & Management Services	49,147
30	146	22/12/2021	Harman Tradex Pvt. Ltd	7,080
31	146	22/12/2021	SAM Traders	13,971
32	146	22/12/2021		14,160
33	146	22/12/2021	Royal Arts	25,724
34	146	22/12/2021	Maruti Enterprises	40,050
Total Amount				12,20,913

उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई एंजेसियों द्वारा प्रेषित की गई निविदाओं में कुछ अंकित GST नंबर पंजीकृत नही पाए गए या संबंधित एजेंसी द्वारा ऑडर किए गए सामान की स्पलाई करने हेतु पंजीकृत नही थी, इत्यादि।

इस अभाव में इस बात को सुनिश्चित नही किया जा सकता कि उपरोक्त एंजेसिया असल में अस्तितव में है भी या नही। इस स्थिति में इन निविदाओं के वैधता के अभाव में होने वाली खरीद को नियमित नही ठहराया जा सकता है। अतः अवैध निविदाओं के आधार पर ₹ 12,20,913/- राशि की गई खरीद अनियमित थी।

इस संबंध में विभाग से कोई जवाब नहीं मिला, हालांकि एग्जिट मीटिंग के दौरान प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार ने बताया कि मामले की जांच कर तदानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का अंतिम उतर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1446859

पैरा32: हारट्रोन को दिए गए अग्रिम राशि का समायोजन न करना एवं अग्रिम राशि पर ब्याज की वसूली न करना राशि- ₹ 4.58 लाख।

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 28@43@2010&1 बी0 और सी0 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार किसी विभाग द्वारा किसी बोर्ड/कॉरपोरेशन/सोसाइटी को किसी कार्य करवाने या खरीद करने हेतु दी गई अग्रिम राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप में ब्याज की प्राप्ती/वसूली की जानी चाहिए जब तक बोर्ड/कॉरपोरेशन/सोसाइटी द्वारा अग्रिम फण्ड की राशि को वास्तविक रूप से उपयोग नही कर लिया जाता। प्राप्ति की तारीख के बीच 2 सप्ताह का अंतर फंड और उपयोग की तारीख को ब्याज मुक्त अवधि के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधानाचार्य गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017-2018 में हारट्रोन को 46 कम्प्यूटर एंव 4 केवीए यू पी एस तथा इनसे सम्बंधित आइटम्स की खरीद के लिए अग्रिम धनराशि ₹ 2546790 (दिनांक 11.01.2018) का भुगतान किया गया। आगे लेखों की जांच में पाया गया कि हारट्रोन द्वारा इन कंप्यूटरों की खरीद हेतु स्पलाई ऑर्डर जारी किया गया। फर्म द्वारा 45 कंप्यूटर एवं 04 यूपीएस दिनांक 01.02.2021 को बहुतकनीकी संस्थान में स्पलाई किए गए।

उपरोक्त वर्णित हरियाणा सरकार के नियमानुसार अग्रिम धनराशि ₹ 25,46,790/- पर 6 प्रतिशत ब्याज जो की ₹ 4,58,422/- (अवधि लगभग तीन साल) बनता था जोकि हारट्रोन से विभाग को वसूल कर समायोजन किया जाना चाहिए था। लेकिन विभाग द्वारा अभी तक उक्त धनराशि पर हारट्रोन से ब्याज की वसूली नही की गई है जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त हारट्रोन द्वारा भेजे गए सामान की कीमत ₹ 23,91,595/- थी जिसके अनुसार कार्यालय द्वारा जारी किए गए अग्रिम राशि से बकाया राशि ₹ 1,55,195/- का समायोजन सामान प्राप्त करने के लगभग तीन साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी नही किया जा सका। अतः हारट्रोन से ब्याज की राशि एवं बकाया राशि पर भी ब्याज प्राप्त कर संबंधित निधियों में जमा कराया जाना चाहिए।

कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि उपरोक्त ब्याज एवं बची हुई राशि प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। विभाग का उत्तर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1447241

पैर33: टुकडों में बांट कर सामान की खरीददारी करना राशि- ₹ 18.91 लाख।

पंजाब वितिय नियमावली भाग-1 के नियम 15.2 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सेवा के लिए उपयोग के लिए की गई सभी खरीद चाहे व स्वदेशी मूल की हो या अन्यथा, हिदायतों के सख्त रुप से पालन करते हुए खरीद की जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रय आदेश किसी भी स्थिति में महज उच्च अधिकारियों की आवश्यक अनुमिति से बचने के लिए टुकड़ों में नही की जानी चाहिए। सार्वजनिक सेवा के लिए सामान की खरीद किफायती दरों पर की जानी चाहिए। यदि सामान खुले बाजार से खरीदा जाता है, जब तक संभव हो, प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के तहत ही खरीदा जाना चाहिए व साथ ही यदि ऐसा करने में असमर्थ तो उसके लिए लिखित में उसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। सामान को टुकड़ों में खरीद करने से बचना चाहिए। विभाग को

Scanned with CamScan

चाहिए कि वे समय-समय पर समग्र रुप से मांग पत्र तैयार कर जितना संभव हो उसके आधार पर खरीद की जाना चाहिए।

प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी द्वारा दो-तीन एजैंसियों से ही लाखों रुपये का एक जैसा सामान खरीदा गया। जिसके लिये समग्र अनुमान तैयार करके निवदा आमंत्रित करनी चाहिये थी । परन्तु राजकीय बहुतकनीकी द्वारा ऐसा न करके ₹ 18.91 लाख (विवरण संलग्न) की टुकडों में खरीद की गई। इसप्रकार से किया गया खर्च अमान्य एवं अनुचित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा संक्षम अधिकारियों की आवश्यक अनुमति से बचने के लिए उपरोक्त सामान की टुकड़ों में खरीद की गई जोकि पीएफआर-1 नियमावली के विरुद्द है। अतः इस अनियमति व्यय को संबंधित अधिकारी से अनुमोदित करावकर लेखापरीक्षा को सूचित करे।

इस संबंध में विभाग से कोई जवाब नहीं मिला, हालांकि एग्जिट मीटिंग के दौरान प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार ने बताया कि मामले की जांच पडताल कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा। उतर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1448447

पैरा34: ऑउटसोर्सिंग नीति पार्ट-1 में पाई गई विभिन्न अनियमिततायें।

(i) सेवा प्रदाता कंपनी को ऑउटसौंस सर्विसों के लिए अतिरिक्त भुगतान करना राशि ₹ 7.37 लाख।

(ii) ऑउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 के तहत कर्मचारियों की अनियमित भर्ती कर भुगतान करना राशि-₹17.27 लाख।

(iii) सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई से संबंधित राशि का जमा न कराया जाना।

राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति को दो भागों में विभाजित किया गया था। आउटसोर्सिंग नीति के भाग I पॉलिसी 2015 के तहत, यह सुनिश्चित करना था कि संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी गैर-कुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल पदों के खिलाफ नियुक्त व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। वेतन के अतिरिक्त विभाग द्वारा नियमित तौर पर ईपीएफ/ईएसआई जैसे लाभ सेवा प्रदाता फर्म द्वारा जमा कराए जा रहे है या नही, जांच कर सेवा प्रदाता

Scanned with CamScan

को भुगतान किया जाना चाहिए। नीति के भाग I के अनुसार, इन कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान जिले के डीसी दवारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय दवारा साई राम सिक्योरिटि एंड प्लेसमेंट सर्विस के साथ बहुतकनीकी संस्थान में आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस लेने हेतु अक्तूबर 2020 से सितंबर 2021 (दिनांक 18.09.2020) तक करार किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखत है:-

Name of Service	Amount (in ₹)
Data Entry Operators, Security, Horticulture & Landscaping, Sanitization/Housekeeping	769058.58 (Rs. 732464 excluding Lady Aaya Services)

कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता कंपनी को आदेश जारी कर करार के अनुसार अक्तूबर 2020 से सर्विस प्रदान (केवल आया सर्विस को छोड़कर) करने हेतु आदेश जारी किए गए। आगे जांच में पाया गया कार्यालय द्वारा उक्त सेवा प्रदाता कंपनी को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान करार के अनुसार ली गई सर्विसों के आधार पर निम्नलिखित भुगतान किया गया:-

Sr. no.	Name of Service	Date of Payment	Month	Amount	Contract Amount	Excess Payment
1	DEO/Security/Horticulture & Landscaping/Sanitization/Housekeeping	16.11.2021	Oct-21	732464	732464	0
2		17.12.2021	Nov-21	744662	769058	0
3		06.04.2022	Dec-21	822893	769058	53835
4		21.04.2022	Jan-22	822893	769058	53835
5		13.05.2022	Feb-22	822893	769058	53835
6		26.05.2022	Arrears Mar 21 to Nov 21	468253	Already paid as per Contract amount	468253
7			Arrear Dec 21	53834		53834

Scanned with CamScan

8		24.05.2022	Mar-22	822893	769058	53835
Total						737427

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कार्यालय प्रति माह सर्विसों के लिए ₹ 769058 (732464 ₹ आया सर्विस को छोड़कर) निश्चित किया गया था। परंतु जांच के दौरान पाया गया कार्यालय द्वारा करार की राशि निश्चित करने के बावजूद समयानुसार डीसी रेट बढ़ने पर राशि ₹ 7.37 लाख का सेवा प्रदाता कंपनी को अतिरिक्त भुगतान किया गया। कार्यालय द्वारा एंजेसी के साथ एकमुश्त राशि का करार करने के बावजूद अतिरिक्त राशि ₹ 7.37 लाख का भुगतान अनियमति था। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा किया गया करार केवल सिंतबर 2021 तक ही मान्य था। इसके बावजूद उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बिना करार को आगे बढाए ही फर्म से मार्च 2022 तक ऑउटसौंसिंग पालिस के तहत सर्विस ली गई, जोकि अमान्य है। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा जारी किए गए टैंड़र एवं एजेंसी के साथ किए गए करार की कॉपी मांगी गई थी। परंतु कार्यालय द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया। अतः दस्तावेजों के अभाव यह सुनिश्चित नही किया जा सकता कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त राशि का किस आधार पर एंजेसी को भुगतान किया गया।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 के लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि प्रधानाचार्य द्वारा जारी किए गए पत्र (दिनांक 23.12.2021) साई राम सेवा प्रदाता कंपनी को टेंडर में दर्शाई गई शर्त 54 का हवाला देते हुए, बहुतकनीकी संस्थान में अतिरिक्त कर्मचारी लगाने हेतु आदेश जारी किए गए एवं उक्त कर्मचारियों को भुगतान डीसी रेट, ईपीएफ, ईएसआई व सर्विस चार्ज सहित किया जाएगा। आगे जांच में पाया गया कि नीचे सारणी में दर्शाई गई सर्विसों के लिए कार्यालय द्वारा साई राम एजेंसी के साथ किए गए करार को दोबारा नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक (दिनांक 29.10.2021) पांच अतिरिक्त महिनों के लिए बढाया गया। सेवा प्रदाता कंपना साई राम को डीसी रेट के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किया गया भुगतान निम्नलिखित है:-

Sr. no.	Name of Service	Date of Payment	Month	Amount	EPF	ESI	Service Charge @ 2.01 %
1	Plumber,	16.11.2021	Oct-21	285410	31374	7843	4851

Scanned with CamScanner

2	Personal Assistant, ALM, Attendant, Loom cleaner	17.12.2021	Nov-21	289085	31778	7944	4913
3		06.04.2022	Dec-21	288298	31429	7857	4859
4		21.04.2022	Jan-22	284693	31295	7829	4839
5		13.05.2022	Feb-22	288298	31692	7923	4900
6		24.05.2022	Mar-22	291386	32031	8007	4952
	Total			1727170	189599	47403	29314

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय अतिरिक्त कर्मचारियों हेतु कार्यालय द्वारा ₹ 17.27 लाख का भुगतान किया गया। जिसमें ईपीएफ हेतु ₹ 1.90 लाख, ईएसआई हेतु ₹ 0.47 लाख रुपये एवं सर्विस चार्ज हेतु ₹ 0.29 लाख रुपये का भुगतान किया गया। परंतु कार्यालय द्वारा दिए Award of Contract (दिनांक 18.09.2020) में अतिरिक्त कर्मचारियों के सेवा लेने हेतु कोई भी शर्त निर्धारित नही की गई थी। इसके अतिरिक्त न ही ये निर्धारित किया गया कि सेवा प्रदाता कंपनी को कितना सर्विस चार्ज का भुगतान किया जाएगा। कार्यालया द्वारा एकमुश्त राशि पर करार करने के बावजूद दूसरी सेवाओं (प्लंबर, पर्सनल सहायक, एएलएम इत्यादि) के लिए उसी सेवा प्रदाता कंपना से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की गई एवं उनका भुगतान डीसी रेट के अनुसार किया गया। अतः उपरोक्त के आधार पर ₹ 17.27 लाख का किया गया भुगतान अनियमित है। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा उपरोक्त एंजेसी को सर्विस चार्ज के रुप में .29 लाख रुपये की राशि का भी भुगतान किया गया जबकि कार्यालय द्वारा कितना सर्विस चार्ज का भुगतान किया जाएगा से संबंधित कोई भी करार नही किया गया था।। अतः कार्यालय द्वारा एक ही एंजेसी के साथ अलग-अलग तरह से बिना किसी ठोस करार के ऑउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कर्मचारियों को रख कर भुगतान करना अनियमित है।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार (दिनांक जनवरी 2019), सभी डीडीओं द्वारा एर्जेसी को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि एर्जेसी द्वारा कार्यालय में लगाए गए कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई जैसे भत्ते समय पर जमा कराए जा रहे है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 तक लेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह

Scanned with CamScan

अक्तूबर 2020 से मार्च 2022 तक साई राम सिक्योरिटि एवं सर्विस के माध्यम से एकमुश्त राशि एवं डीसी रेट पर कर्मचारियों को कार्यालय में रखा गया था। आगे जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता कंपनी को प्रति माह भुगतान करते समय पहले माह के दौरान सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कर्मचारियों का EPF/ESI की राशि संबंधित खातों में जमा कराई गई है या नही से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नही किया जा सकता की सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा राशि को संबंधित निधियों में जमा कराया गया है या नही। इसके अतिरिक्त को सेवा प्रदाता कंपनी आर.बी इंटरप्राईजेज के माध्यम से ऑउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रखे गए कर्मचारियों को अवधि मार्च 2019 से नवंबर 2019 तक की बकाया राशि ₹ 322470/- (दिनांक 26.02.2024) जारी की गई। परंतु कार्यालय द्वारा राशि जारी करते समय न ही करार के अनुसार कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई की राशि जारी की गई न ही सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा राशि की मांग की गई। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेवा प्रदाता कंपना द्वारा उक्त कर्मचारियों की ईपीएफ/ईएसआई की राशि संबंधित खातों में जमा नही कराई गई होगी। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार (दिनांक जनवरी 2019), डीडीओ द्वारा एर्जेसी को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि एर्जेसी द्वारा कार्यालय में लगाए गए कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई जैसे भत्ते समय पर जमा कराए जा रहे है। परंतु कार्यालय द्वारा हिदायतों का पालन न करते हुए उपरोक्त राशि का भुगतान कर दिया गया।

कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि मामले की जांच पड़ताल कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। विभाग का उतर अपेक्षित था।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1448491

पैरा35:राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा शिक्षु (apprentice) को भुगतान की गई वजीफे की राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त न करना राशि-₹ 1.00 लाख।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को वर्ष 2020 तक 50 लाख युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ दिनांक 24.08.2016 को मंजूरी दी । इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार निर्धारित वजीफे का 25% हिस्सा या अधिकतम ₹ 1500/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु के हिसाब से नियोक्ताओं को भुगतान करेगी।

Scanned with CamScan

इसके अतिरिक्त योजना के नियम 9.1 के अनुसार निर्धारित वजिफे की पूर्ण दर का भुगतान, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा भी शामिल है, का भुगतान शिक्षुओं को नियोक्ताओं के द्वारा आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से शिक्षुओं से बैंक विवरण प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। प्रतिष्ठानों को भुगतान के लिए एक प्रमाण के साथ प्रशिक्षु को वजीफे की पूरी राशि के साथ उपस्थिति विवरण अपलोड करना आवश्यक है। केन्द्र सरकार के हिस्से की संबंधित आरडीएटी या एसएए द्वारा तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। संबंधित आरड़ीएटी राज्य अपलोड़ की गई जानकारी को सत्यापन करेगे एवं नियोक्ताओं द्वारा भेजे गए प्रतिपूर्ति दावे की प्राप्ति के दस दिन के अंदर संबंधति राशि उनके बैंक खाते में भेजी जानी चाहिए।

कार्यालय प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी, हिसार के अवधि नवंबर 2021 से जून 2024 तक के लेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में एनएपीएस योजना के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान योजना के तहत लगभग 17 शिक्षुओं को भर्ती किया गया। संस्थान द्वारा इन शिक्षुओं को वजीफे की राशि के तौर पर जो भुगतान किया गया उसके आधार पर राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार के माध्यम से केन्द्र सरकार से लगभग ₹ 2.39 लाख राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। परंतु जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अब तक केवल ₹ 0.69 लाख राशि की प्राप्ति हुई। उपरोक्त से स्पष्ट था कि संस्थान द्वारा अभी तक भी बची हुई ₹ एक लाख की राशि की प्राप्ति नही की जा सकी थी। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा भेजे गए दावे के दस दिन के अंदर की जानी चाहिए। अतः संपूर्ण राशि प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कार्यालय द्वारा उत्तर मे बताया गया कि बकाया राशि की प्राप्ति कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। विभाग का अंतिम उत्तर अपेक्षित था ।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1448579

पैरा36: होस्टल किराया व छात्र सिक्यूरिटी का अनुचित अनुपयोग राशि-₹ 11.81 लाख विभागीय प्राप्तियों /प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न करवाना।

राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतो के व उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस के अनुसार अनुसार राजकीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों मे पढ़ने वाले छात्रों से हॉस्टल चार्जर्स के लिए रुपये 1500/- प्रति सेमेस्टर व

Scanned with CamScan

छात्र सिक्यूरिटी के लिए एक बार में रुपये 3,000/- की दर से लिए जाएँगे, छात्र सिक्यूरिटी कोर्स के समाप्ति पर वापिस की जाएगी।

पंजाब वितिय नियमावली भाग-। के नियम 2.4 के अन्तर्गत सभी विभागीय प्राप्ति को उसी दिन न अगले दिन तक कोषागार में जमा करवाना अनिवार्य होता है

कार्यालय, प्रधानाचार्य, गुरु दक्ष राजकीय बहुतकनीकी हिसार के लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 तक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वितीय सत्र 2017-18 से सत्र 2024-25 में छात्रों के लिए 2 हॉस्टल व छात्राओं के लिए 1 हॉस्टल की व्यवस्था है जिसका ब्यौरा निम्न है

हॉस्टल नाम का	हॉस्टल अकाउंट में जमा राशी	छात्र सिक्यूरिटी वापिसी	हॉस्टल चार्जर्स	ब्याज की राशी	हॉस्टल अकाउंट से खरीद	GDGP Polytechnic A/c में जमा राशी	हॉस्टल अकाउंट में बैलेंस
Old Boys Hostel	Not calculate	565500	589500	321042	957740	589500	1973707
New Boys Hostel	1449900	486000	169500	41232	117477	169500	796810
Girls Hostel	980315	153000	127500	48722	105494	127500	817056
कुल		1204500	886500	410966	1180711	886500	3587573

GDGP Polytechnic के हॉस्टल के खातों में ब्याज की राशी रु 4,10,966/- व कुल राशी रु 35,87,573/- जमा थे | इस राशी में से ब्कोयाज की राशी तथा हॉस्टल चार्जेज को नियमानुसार कोषागार में जमा नहीं करवाया गया तथा हॉस्टल के खातों से रु 11,80,711/- की नियमो के विरुद खरीद की गयी व Old Boys Hostel के बैंक खाते की राशी रु 10,00,000/- को कोषगार में जमा न करवाकर उसका उपयोग अन्य स्कीम के लिए किया गया व सभी छात्रों को नियमानुसार छात्र सिक्यूरिटी कोर्स के समाप्ति पर वापिस नहीं की गयी | Old Boys Hostel के बैंक खाते में जमा राशी व लेखापरीक्षा अवधि 11/2021 से 06/2024 के दोरान हॉस्टल में कितने छात्र/छात्रओं ने हॉस्टल की सुविधा प्राप्त की के बारे में GDGP Polytechnic द्वारा कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि हॉस्टल अकाउंट में

Scanned with CamScan

बकाया राशी में से छात्र सिक्यूरिटी की राशी कितनी है तथा हॉस्टल चार्जेज की राशी कितनी |

इस सम्बन्ध में विभाग को ऑडिट इन्क्वारी (AENQ-563754) जारी किया गया था, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला| अतः नियमों की पालना न करते हुए विभागीय प्राप्ति को कोषागार में जमां न करके उसका उपयोग अन्य स्कीम के लिए करने व पुरे रिकॉर्ड को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने के कारणों व इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। विभाग का उतर अपेक्षित था|

Scanned with CamScan